न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 296/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सोहन सिह पुत्र रिडमल सिह 2– नरपत सिह पुत्र रिडमल सिह 3– राणु सिह पुत्र रिडमल सिह 4– श्रीमती लालकंवर पत्नी रिडमल सिह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बरजासर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर		1– हुकमाराम पुत्र हरिकिशन जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर 3– नायब तहसीलदार आऊ तहसील आऊ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2016 जो राजस्व प्रकरण संख्या 300/2016 अनवान हुकमाराम बनाम तहसीलदार फलोदी वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से. ।

निर्णय

दिनांक 8–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 हुकमाराम पुत्र हरिकिशन जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का खसरा नंबर 27/14 रकबा 40 बीघा किस्म बी–3 एवं खसरा नबर 27/15 रकबा 65 बीघा 04 बिस्वा किस्म बी–3 वाके ग्राम बरजासर पटवार हल्का भीयासर तहसील फलोदी मे आया हुआ है जिसकी पैमाईश तहसीलदार फलोदी के आदेश की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7–5–2016 को सम्पन्न की गई । उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया. । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार आऊ को आदेशित किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नंबर 27/14 रकबा 40 बीघा व खसरा नंबर 27/15 रकबा 65 बीघा 04 बिस्वा भूमि ग्राम बरजासर पटवारी क्षेत्र भीयासर की पत्थरगढी संबंधित पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे सम्पन्न करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 प्रशासन गांव संग अभियान केम्प भीयासर मे पारित किया है जबकि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम बरजासर मे आई हुई है तथा कथन किया कि ग्राम बरजासर मे केम्प की तारीख दिनांक 21–6–2016 की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 3–6–2016 को पेश किया गया था जिसमे किसी पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया केवल तहसीलदार फलोदी को ही पक्षकार बनाते हुए दिनांक 16–6–2016 को ही निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार थे परंतु जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नही बनाया, कानूनन संयुक्त खातेदार को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने कथन किया कि रेस्पो0 हुकमाराम का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत जगह पर तरमीम बताकर अपीलांट की कृषि भूमि पर काबिज होना चाहता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा न तो कोई मौके की रिपोर्ट मंगवाई और न ही तहसीलदार से कोई जवाब ही मंगवाया और न ही अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो के कम मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे तैयार की गई फर्द मौका दिनांक 9–7–18 मे उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 27/14 व 27/15 मे मौके पर रहवासीय झूंपे बने हुए है एवं नलकूप खुदा हुआ पाया गया जो चालू हालात मे है तथा मौके पर मूंगफली, अरण्डी ,ग्वार व बाजरा की फसल बोई हुई है, जो भंवरसिह, राणुसिह, दुर्गसिह पि0 राणुसिह की काश्त की हुई है । रेस्पो0 हुकमाराम पुत्र हरिकिशन जाति विश्नोई सा0 सारणपुरा खातेदार दर्ज है नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम की हुई है लेकिन प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नही होने से एवं शांति व कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना होने से पत्थरगढी किया जाना संभव नही है तथा मौका फर्द मे यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी कब्जा पाप्त करने हेतु संक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात ही पत्थरगढी की जाना संभव है । उक्त फर्द मौका पर पटवारी, निरीक्षक भू अभिलेख, नायब तहसीलदार एवं ग्रामवासियो के हस्ताक्षर किये हुए है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात शामिल पत्रावली किये गये तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना, बिना मौका निरीक्षण

किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलांट्स की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 16–6–1016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि शामिलाती थी तथा उक्त शामलाती भूमि मैने सहखातेदार से खरीद की थी । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि रेस्पो0 हुकमाराम ने बंटवाडा का दावा किया जिसमे दिनांक 4–8–2010 को प्राथमिक डिकी जारी की गई तथा बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26–8–2010 को आया और अंतिम डिकी दिनांक 8–9–2010 को जारी हुई जिसकी कोई अपील किसी भी न्यायालय मे पेंडिंग नही है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अंतिम डिकी की पालना मे नामांतरकरण भी पारित हो गया जिसकी पीछे नक्शा भी दर्शाया हुआ है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि मै मेरे हिस्से की भूमि की पत्थरगढी करवा सकता हूँ इसलिए अपीलांट को पक्षकार बनाने एवं सुनवाई का अधिकार नही है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि वर्तमान अपील केवल विवाद को चालू रखने के लिए प्रस्तुत की है वे विवाद को समाप्त नही करना चाहते है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 का अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे न्यायालय हाजा के समक्ष फार्म नबंर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो एंव लिखित बहस आदि का अवलोकन किया ।

पत्रावली मे बहस के दौरान पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा फार्म नबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पो0 द्वारा सामलाती खातेदारी भूमि का विधिवत बंटवाडा करवाया था । बंटवाडा आदेश मे काश्तकारो के खाते अलग–अलग किये गए है तथा उसके अनुरूप तरमीम भी की गई है । बंटवाडा पश्चात की गई तरमीम अनुसार ही खातेदार अपने खातेदारी खेत की पत्थरगढी करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार आऊ को आदेशित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बरजासर पटवार क्षेत्र भीयासर की पत्थरगढी संबंधित पडौसी खातेदारो की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए करवाया जाना सुनिशचित करें ।

हस्तगत प्रकरण मे भूमि का विधिवत बंटवाडा न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा मुकदमा संख्या 235/2008 अनवान हुकमाराम बनाम राणुसिह वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 4–8–2010 तथा उक्त

निर्णय की पालना मे पारित अंतिम डिकी दिनांक 8–9–2010 मे इस प्रकार आदेश पारित किया गया है –

"तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है । अतः ग्राम बरजासर के खसरा नंबर 27/1 रकबा 130.05 बीघा, खसरा नंबर 27/2 रकबा 100 बीघा, खसरा नंबर 27/3 रकबा 85.04 बीघा किस्म बारानी III कुल रकबा 315.14 बीघा का बंटवाडा निम्न प्रकार से किया जाता है –

1– वादी हुकमाराम एवं हरीकिशन जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा के बंट मे ग्राम बरजासर के खसरा नंबर 27/1 रकबा 130.05 बीघा मे से 40.00 बीघा व खसरा नंबर 27/2 रकबा 100.00 बीघा किस्म बारानी III मे से रकबा 65.04 बीघा कुल रकबा 105.04 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है ।

2– प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 से 15 तक के बंट मे ग्राम बरजासर के खसरा नंबर 27/1 रकबा 130.05 बीघा मे से 90.05 बीघा, खसरा नंबर 27/2 रकबा 100.00 बीघा मे से 34.16 बीघा, खसरा नंबर 27/3 रकबा 85.09 बीघा कुल रकबा 210.10 बीघा भूमि सलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है ।

तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावें । नजरी नक्शा डिकी परचा का भाग रहेगा । इसी माफिक खाते अलग अलग कायम करें एवं राजस्व नक्शा मे तरमीम की जावें ।"

माफिक डिकी के विभाजन प्रस्ताव अनुसार नक्शे मे तरमीम भी हो चुकी है। अर्थात् वर्तमान मामले मे सक्षम न्यायालय से भूमि के बंटवाडे तथा तद्नुसार तरमीम की जानकारी खातेदारान अपीलांट को पूर्व से ही है ।

यह उल्लेखनीय है कि किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है इसलिए रेस्पो0 हुकमाराम पुत्र हरिकिशन जाति विश्नोई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 16–6–2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 अटल सेवा केन्द्र भीयासर मे आयोजित शिविर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलाट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर